न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 85/2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. सरवणराम पुत्र जवाहर राम जाति 01. नट निवासी– रायरावखुर्द, तहसील– सोजत, जिला– पाली।	तहसीलदार सोजत,	तहसील सोजत, जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति:–

01. श्री ओमप्रकाश राजपुरोहित अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।
02. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत

–: निर्णय :–

दिनांक 04/04/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में आवंटन कैम्प में सरहद मौजा रायरा खुर्द में पुराने खसरा नम्बर 1123 में 15 बीघा कृषि भूमि आवंटन दिनांक 03.05.1976 को किया गया। उसी दिन सनद फीस जमा कर कब्जा तत्कालीन सरपंच ठाकुर साहब तेजसिंह के समक्ष हल्का पटवारी दिनांक 07.05.1976 को दिया गया। उक्त कब्जा प्रार्थी ने संभाल लिया जो आजदिन तक कायम है। वादी का नाम भूप्रबंधक विभाग खसरा मिलान क्षेत्रफल संवत् 2022 एवं मिसल बंदोबस्त संवत् 2033 से 2052 में दर्ज किया गया। उसके पश्चात वादी स्वयं खातेदार काश्तकार हो गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी विधिक अधिकारिता के प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि नहीं कर गलत नाम से प्रविष्ठि कर गलत व्यक्ति के नाम अनुसूचित जाति के सदस्य की खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् गलत रूप से म्यूटेशन सिंख्या 391 भर दिया गया। तत्पश्चात् फर्जी दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी को बिना सुने, बिना नोटिस दिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत म्यूटेशन संख्या 391 खारिज कर म्यूटेशन संख्या 650 भरकर सिवाय चक आवंटित भूमि दर्ज किया गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही मौके पर विपरीत बिना जांच एवं बिना साक्ष्य के राजस्व कर्मचारियों के कर्तव्यों की घोर लापरवाही के कारण उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही प्रारंभ से ही निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में 45 वर्षों से कब्जा काश्त होने से तथाकथित म्यूटेशन एवं उनके आधार पर की गई कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों के विपरीत प्रारंभ से शून्य होने के कारण निरस्त होने के कारण प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्ट्या सफल होने योग्य है। प्रार्थी के आवंटन सुदा कृषि भूमि से बेदखली करने पर उसे अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होने के कारण एवं मौके पर बेदखली करने पर मुकदमे बाजी होने शांतिभंग होने जानमाल की सुरक्षा बचाने हेतु प्रार्थी के अधिकारों की रक्षा की जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसके अभाव में प्रतिवादी एवं उसके नुमाईदे बेदखली पर अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई की जाना असंभव होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त वर्णित परिस्थितियों में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात फर्जी दस्तावेज के आधार पर वास्तविक तथ्यों को छुपाकर गलत रूप से प्रविष्ठि करने एवं गलत व्यक्ति के नाम पर म्यूटेशन सवर्ण जाति के नाम भरने एवं उसे सिवाय चक दर्ज करने की विधिक अधिकारिता नहीं होने से प्रारंभ से ही उक्त शून्य प्रविष्ठि से प्रार्थी के खातेदारी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

अधिकारों पर विपरीत असर नही होने से वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी की जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अधिवक्ता मय प्रार्थी ने यह निवेदन किया है कि प्रार्थी को आवंटित कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 1123 नए खसरा नम्बर 2698/2812 मे 15 बीघा किस्म बारानी दोयम मे प्रतिवादी तथा उसके नुमाईदों अथवा अन्य व्यक्तियो द्वारा बेदखली करने पर जमीन भौतिक स्वरूप खुर्द-बुर्द करने से रोकने हेतु वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किए जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। जिस पर तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पैरा संख्या 1 कानूनी है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि सरहद मौजा सायराखुर्द में स्थित है बाकी तथ्य वादी स्वयं साबित करे। पैरा संख्या 3 प्रार्थी स्वयं साबित करे। पैरा संख्या 04 से 07 व 09 से 14 कानूनी है और पैरा संख्या 08 प्रार्थी स्वयं साबित करे।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि कि प्रार्थी को आवंटित कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 1123 नए खसरा नम्बर 2698/2812 मे 15 बीघा किस्म बारानी दोयम मे प्रतिवादी तथा उसके नुमाईदों अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा बेदखली करने पर जमीन भौतिक स्वरूप खुर्द-बुर्द करने से रोकने हेतु वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किए जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस मे तहसीलदार सोजत ने निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार भूमि सिवायचक यानि राजकीय भूमि है। प्रार्थी एक अतिक्रमि है। अतिक्रमी को किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना सही नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र तथा अप्रार्थी तहसीलदार सोजत के जवाब प्रार्थना पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर गनन किया गया। वस्तुतः वर्तमान परिपेक्ष्य में वादस्थ भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है। जिससे की हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया ना न्यायोचित नही समझते है।

-: आदेश :-

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 04/5/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत